

निगरानी प्रसं सं 33/2013

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अनवान :-> सन्तलाल श्री V/5 शा.सक.समि. प्राम

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुवे

05/03/2026

पतावली पेश। पक्षात् उपर। अन्निप्रापठ  
प्रार्थी सं 03,04 ने सूची नं 03 के साथ  
आ. अति. सिविल न्यायालय का कंसल एवं  
डिप्टी जिनांक 19.12.2025 की प्रमाणित  
प्रति पेश की। शामिल पतावली रहे।

प्रार्थना पत्र जिनांक 14.01.2026  
पर सुना गया।

अन्निप्रापठ प्रार्थी सं 03,04 ने अपने  
क्रिया की उक्त अपील में जो वादावत स्थल  
है, उस वादावत स्थल से सम्बन्धित एक दीवानी  
वाद सन्तलाल वनाम राजेश कुमार शर्मा के  
वक्ता से अति. सिविल न्यायालय में दुरु द्वारा  
जिनांक 19.12.2025 को स्वारिज करमाया जानुवा है।  
उक्त निगरानी व दीवानी वाद का साखूत स्थ  
होने व दीवानी वाद स्वारिज होने के बाद निगरानी  
का कोई साखूत वही एवं निगरानी चलाने का कोई  
तात्पर्य नहीं है।

आ. सिविल न्यायालय के निर्णय एवं प्रार्थना  
पत्र का प्रबलन करने पर जायागी इस न्यायालय  
में पेश निगरानी एवं सिविल न्यायालय द्वारा  
प्रमाणित वादपत्र की विषय वस्तु रखी है। सिविल  
न्यायालय में पुकख का निस्तारण होने पर इस  
पतावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहे।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर  
पतावली इसी स्तर पर दाखिल वपूत की  
जाती है।

आदेश रुबे न्यायालय में सुनाया  
गया।

(सन्तलाल श्री V/5 शा.सक.समि. प्राम)  
सुनाया